न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—187 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 187)

1. गोपाल पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर।
2. कमला देवी पुत्री पन्ना पत्नि विश्राम
3. मनोहर देवी पुत्री पन्ना पत्नि नारायण
4. सुप्यार देवी पुत्री पन्ना पत्नि रामस्वरूप
   सभी जाति जाट निवासी रामपुरा काला तालाब तहसील अंराई जिला अजमेर।
5. गणेशी देवी पुत्री पन्ना पत्नि विश्राम जाति जाट निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर।
6. श्रवण पुत्र बख्ता
7. रामराज पुत्र उगमा
8. भागचंद पुत्र उगमा
9. सुगना पुत्र बोदू
10. विश्राम पुत्र जीवण
11. सुरेश पुत्र जीवण
12. हेमा पुत्र छीतर
13. किशना पुत्र धीरा
14. शिवराज पुत्र धीरा
    सभी जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. काली पत्नि हगामा
2. मनभर पत्नि भागचंद
3. सरोज पत्नि छगना
4. सुमित्रा पत्नि रामस्वरूप
   सभी जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

6. भागचंद पुत्र हरजीराम
7. घमला पुत्री हरजीराम
8. हगामा पुत्री हरजीराम
9. रामस्वरूप पुत्र हरजीराम
10. काली पुत्री हरजीराम
    सभी जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई अजमेर राजस्व वाद संख्या 269 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट

2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

निर्णय

दिनांकः—05.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया जिस पर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिनांक 07.06.2024 को पारित कर दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियुक्त प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण को यह आश्वासन दे रखा था कि उन्हें हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तो सूचित कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी अभी हाल ही में जब वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल किया गया तो प्रार्थीगण दिनांक 12.8.2024 को अपने अभिभाषक से मिले तो उन्होंने जानकारी दी कि उनके विरूद्ध फैसला हो गया है तब उनके द्वारा पूर्व में ली गई नकलें प्रार्थीगण को प्रदान कर विधिक सलाह दी कि उक्त निर्णय की अपील अजमेर में जाकर पेश करो जिस पर प्रार्थीया फीस आदि का प्रबंध कर अजमेर आए एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त अपील आज दिनांक को अविलंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी

इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तथा 12 से 18 की ओर से जवाब पेश किया गया जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1019, 1020 जो कि ग्राम दादिया में स्थित है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 1023/2 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता जो कि ग्राम दादिया से मुण्डोलाव जाने वाले रास्ते पर स्थित है तथा प्रार्थीगण ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी भूमि खसरा नम्बर 1019 एवं 1020 की भूमि गै0मु0 रास्ते के पास स्थित है इस प्रकार से प्रार्थीगण को किसी प्रकार से रास्ते की आवश्यकता नहीं है एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 961 में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1018 में से नजरी नक्शे के अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा उक्त भूमि पर रास्ते के आलामात भी नहीं है तथा अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1023/2 गै0मु0 रास्ते जो कि मुण्डोलाव के रास्ते पर स्थित है उक्त रास्ते से खसरा नम्बर 1012 व 1015 की स्थित मेड से होते हुए खसरा संख्या 1006 के कुंए पर होते हुए खसरा संख्या 1005 से होते हुए 662 व 661 में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ते से आते जाते हैं इस प्रकार से प्रार्थीगण के पास पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि अविधिक होने से निरस्त योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित तहसीलदार द्वारा एक पक्षीय रूप से प्रार्थीगण के मन मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

आदेश दिनांक 07.06.2024 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण भूरीदेवी पुत्री पन्ना, छगना पुत्र हरजीराम तथा बदाम पत्नि जीवण का निधन हो चुका था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर अपने उक्त प्रार्थना पत्र में मृतकों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना तथा तथ्यों को छिपाते हुए मृतकों के विरूद्ध उक्त आदेश प्रदान करवा दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अंराई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 961 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 1019 रकबा 2 बिस्वा खसरा संख्या 1020 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा स्थित है जो कि प्रार्थीया के संयुक्त कब्जे व काश्त की खातेदारी भूमि है जिसमें सभी प्रार्थीगणों का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है, उपरोक्त आराजी में गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 1023/2 रकबा 5 बीघा 09 बीस्वा जो रास्ता दादिया से मुण्डोवाल जाने वाले रास्ते पर स्थित है प्रार्थीयागण खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1019 व 1020 से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी खसरा संख्या 1018 से होते अपने खसरों में आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 961 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1018 के अतिरिक्त कोई भी लघुत्तम, निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 961 में सिचांई तथा आने जाने के लिए खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडा जिसके लिए प्रार्थीगण निर्धारित डी0एल0सी दर के अनुसार राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिंचाई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का दादिया व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 को तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 12 लगायत

18/अपीलांट्स की ओर से मौका रिपोर्ट पर दिनांक 17.01.2020 को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र विरूद्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2020 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष आदेश दिनांक 14.02.2020 के विरूद्ध निगरानी–1489/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त निगरानी को दिनांक 26.07.2021 को स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 को अपास्त कर परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया कि वह संबंधित आई0एल0आर को उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण दिनांक 08.12.2022 को करते हुए प्रकरण में पुनः प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरांत नोटिस तामीली तामिल कुनिन्दा से करवाते हुए नियत तिथि को ही मौका रिपोर्ट बनाई जाए तथा नोटिस तामीली रिपोर्ट एवं नोटिस की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में मौका रिपोर्ट सहित पेश की जावे ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। इस बाबत आदेश पारित किए गए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारों को मौका रिपोर्ट बाबत जरिए नोटिस सूचना प्रेषित किए जाने के पश्चात उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। *तहसीलदार अंराई द्वारा प्रस्तुत नवीनतम मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 961 में आवागमन के लिए खसरा संख्या 1018 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इस बाबत खसरा नम्बर 1018 में से रास्ते हेतु 0.0404 है0 भूमि अधिग्रहित की गई।*

इन समस्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की समस्त आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करने के पश्चात ही वर्तमान प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। चूंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्यों कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई

सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ते कायमी के आदेश दिए गए है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर